

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

अनवान

मोहर सिंह बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र सं. - 18/2023

प्रकरण अन्तर्गत धारा- 136 एल.आर.एक्ट

(जी.एस.एम. नं. - 2023/291)

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
	<p>प्रार्थी श्री मोहर सिंह पुत्र नत्थुराम जाति मेघवाल निवासी चक 5 के.ए.एम-ए तहसील अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 04.08.2023 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में जाति व साकिन दुरुस्ती बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक : भू.अ./2023/2559 दिनांक : 22.08.2023 द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट अनुसार चक 5 के.ए.एम-ए का प.नं. 321/391 मु.नं. 25 का 5.288 हैक्टर कमाण्ड रकबा जमाबंदी अनुसार सहखातेदारान के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। सहखातेदारा मोहर सिंह पुत्र नत्थुराम का परिवार उक्त मुरब्बा में मौके पर निवास कर रहा है। प्रार्थी की जाति मेघवाल है। जाति प्रमाण पत्र की चित्रप्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त जमाबंदी में दर्ज सहखातेदारान का निवास मानखेड़ा दर्ज है जबकि मानखेड़ा न होकर मलखेड़ा है जो तहसील भादरा में स्थित है।</p> <p>अतः तहसीलदार अनूपगढ़ की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल व साकिन मानखेड़ा के स्थान पर मलखेड़ा की दुरुस्ती की जानी उचित है।</p> <p>- :: आदेश :: -</p> <p>तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी में चक 5 के.ए.एम-ए का प.नं. 321/391 मु.नं. 25 का 5.288 हैक्टर में प्रार्थी मोहर सिंह पुत्र नत्थुराम की जाति चमार के स्थान पर मेघवाल व साकिन मानखेड़ा के स्थान पर मलखेड़ा के किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी की जावे।</p> <p>(अजीत कुमार गोदारा) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	